IAS GS World PCS

Committed To Excellence

# Prelims Capsule

## प्रमुख अंग्रेजी अखबारों से...

**Corp. Office:-**
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph.:- 011-27658013, 7042772062/63

## वित्तीय समावेशन सूचकांक

**टाइम्स ऑफ इंडिया/बिजनेस स्टैण्डर्ड
(26 सितम्बर)**

**संदर्भ-**

- हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय समावेशन सूचकांक (FII) जारी किया।




- इंडेक्स को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के CEO के साथ वित्त मंत्री की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा बैठक के बाद लॉन्च किया गया था।
- वार्षिक सूचकांक इस वर्ष के अंत तक वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा जारी किया जाएगा और यह अंतिम-मील बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता पर उनके प्रदर्शन पर राज्यों को रेट करेगा।

**प्रमुख बिंदु-**

- यह औपचारिक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बास्केट तथा उन सेवाओं जिनमें बचत, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल हैं, तक पहुँच और उनके उपयोग का एक मापक होगा।

**सूचकांक के तीन मापक आयाम-**

1. वित्तीय सेवाओं तक पहुँच
2. वित्तीय सेवाओं का उपयोग
3. गुणवत्ता।

- यह एकल समग्र सूचकांक वित्तीय समावेशन के स्तर पर समष्टि नीति (Macro Policy) की योजनाओं का मार्गदर्शन करेगा।
- इंडेक्स के विभिन्न घटक आंतरिक नीति बनाने के लिये वित्तीय सेवाओं के मापन में भी मदद करेंगे।
- वित्तीय समावेशन सूचकांक का उपयोग विकास संकेतकों में सीधे एक समग्र उपाय के रूप में किया जा सकता है।



- यह ळ20 देशों के वित्तीय समावेशन संकेतकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा।

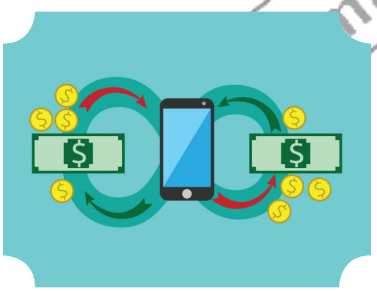

Prime Minister's Jan Dhan Yojana

India's Biggest Financial Inclusion Drive

- यह शोधकर्त्ताओं को वित्तीय समावेशन और समष्टि अर्थव्यवस्था की अन्य परिवर्ती राशियों के प्रभाव का अध्ययन करने में भी सुविधा प्रदान करेगा।
- यह सूचकांक जनवरी, 2019 में जारी किया जाएगा।

**क्या है?**

- वित्तीय समावेशन एक ऐसा मार्ग है जिस पर सरकारें आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल करके उन्हें आगे बढाने का प्रयास करती हैं।
- इसका उद्देश्य सभी को आर्थिक विकास के लाभ प्रदान करना तथा उसे अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करना है।
- ऋण, भुगतान और धन-प्रेषण सुविधाएँ तथा मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ियों के लिये उचित और पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर बीमा सेवा आदि कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएँ हैं।

**भारत द्वारा उठाए गए कदम-**

- भारत में मोबाइल बैंकिंग का विस्तार
- बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेट (BC) योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

## WAYU : वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

**टाइम्स ऑफ इंडिया**
**( 26 सितम्बर )**

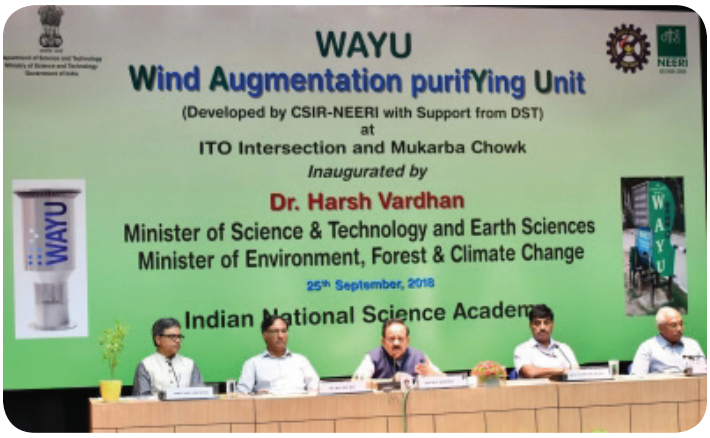


**संदर्भ-**

- हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च-नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट(सीएसआईआर-नीरी) की तरफ से विकसित विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिंग यूनिट (वायु) का आईटीओ और मुकरबा चौक केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शुभारंभ किया।
- 15 अक्टूबर तक दिल्ली के अलग-अलग चौराहों पर 54 एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे।
- इसे साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च- नेशनल इन्वायरनमेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीएसआईआर-नीरी) ने तैयार किया है।
- प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नॉलाजी की तरफ से फंड प्रदान किया गया है।
- यह छोटा-सा डिवाइस अपने आसपास 500 वर्ग मीटर की हवा को साफ करने की क्षमता रखता है, जबकि 10 घंटे काम करने के दौरान यह सिर्फ आधा यूनिट बिजली की खपत करता है।

**कैसे कार्य करेगा?**

- यह हवा साफ करने की एक मशीन है जिसे व्यस्त व प्रदूषित चौराहों पर लगेगा। यह धूल कणों को सोख लेगा। वायु यंत्र दो सिद्धांत पर काम करेगा।

- पहले हवा में जो प्रदूषित कण है उसे सोखेगा। फिर एक्टिव प्रदूषण उसमें से हटा देगा। ये यंत्र पर्टिकुलेट मैटर निकालकर उसमें कार्बन एक्टिवेट करेगा।
- लैंप जहरीली गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा से खत्म करेगा। यंत्र में 1 पंखा और 1 फिल्टर है जो पर्टिकुलेट मैटर को सोखेगा।
- लैंप और आधा किलो कार्बन चारकोल जिसमें टाइटेनियम डाईऑक्साइड कैमिकल मिला होगा, वो भी यंत्र में होगा।

## केंद्र सरकार ने लोकपाल खोज समिति गठित की

**द हिन्दू/हिंदुस्तान टाइम्स**
**( 28 सितम्बर )**

**संदर्भ-**

- हाल ही में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने हेतु आठ सदस्यीय एक खोज समिति का गठन किया।
- ये समिति लोकपाल के उम्मीदवारों की तलाश करेगी फिर उनके नाम सरकार के पास भेजेगी।
- इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

**सदस्य-**

- खोज समिति के सदस्य भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख एएस किरन कुमार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सखा राम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीर हुसैन एस खंडवावाला, राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित के. पवार और पूर्व सॉलीसीटर जनरल रंजीत कुमार हैं।
- आठ सदस्यीय खोज समिति को लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की एक सूची की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है।

GS World
Committed To Excellence

**लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013-**

- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम को 2013 में पारित किए जाने के चार साल बाद खोज समिति का गठन करने का फैसला किया गया है।
- लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसके सदस्यों में लोकसभा स्पीकर, निचले सदन (लोकसभा) में विपक्ष के नेता, देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) या उनके द्वारा नामित शीर्ष न्यायालय के कोई न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले एक प्रख्यात न्यायविद या अन्य शामिल हैं।

**लोकपाल का लाभ-**

- लोकपाल के पास सेना को छोड़कर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे चपरासी तक किसी भी जन सेवक (किसी भी स्तर का सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई का अधिकार होगा।
- वह साथ ही इन सभी की संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है।
- विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को किसी आदमी के खिलाफ अदालती ट्रायल चलाने और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा।

## नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी

**टाइम्स ऑफ इंडिया/इकॉनमिक/PIB**
**( 27 सितम्बर )**

**संदर्भ-**

- केंद्र सरकार ने 26 सितंबर, 2018 को नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (NDCP) को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक टेलीकॉम सेक्टर में 10 हजार करोड़ का निवेश और 40 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में नेट निरपेक्षता पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही डिजिटल विषयवस्तु के साथ कोई भेदभाव न करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

**प्रमुख बिंदु-**

- इसके तहत सभी के लिए ब्रॉडबैंड का प्रावधान किये जाने की बात कही गई है।
- नई दूरसंचार नीति के तहत वर्ष 2020 तक देश के हर एक नागरिक को 50 एमबीपीएस की तथा हर एक ग्राम पंचायत को एक जीबीपीएस की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लगभग 40 लाख रोजगारों का सृजन किया जाएगा।
- देश के जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान आठ प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि वर्ष 2017 में यह छह प्रतिशत था।

- सूचना एवं संचार तकनीकी विकास सूचकांक में देश को वर्तमान 134वें स्थान से सुधारकर शीर्ष 50 देशों में शामिल करना।
- उपभोक्ताओं की जरूरत को हल करने के लिए एक नए दूरसंचार लोकपाल के गठन और वेब आधारित शिकायत व्यवस्था कायम करने की प्रणाली विकसित करना।
- संचार नीति में स्पेक्ट्रम और टावर नीतियों में अहम बदलाव का सुझाव दिया गया है ताकि इनका कारोबार आसानी से चल सके।
- पॉलिसी में कर्ज की समस्या से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को नया जीवन देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ज्यादा निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वैश्विक मानकों के अनुरूप डेटा सुरक्षा के मानक विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। यह सुझाव भी दिया गया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा के मसले पर जागरूक किया जाए।

## विवाहेतर संबंध अपराध नहीं

**द हिन्दू/फाइनेंसियल एक्सप्रेस**
**( 27 सितम्बर )**

**संदर्भ-**

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 27 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एकमत से व्यभिचार कानून पर फैसला सुनाया।

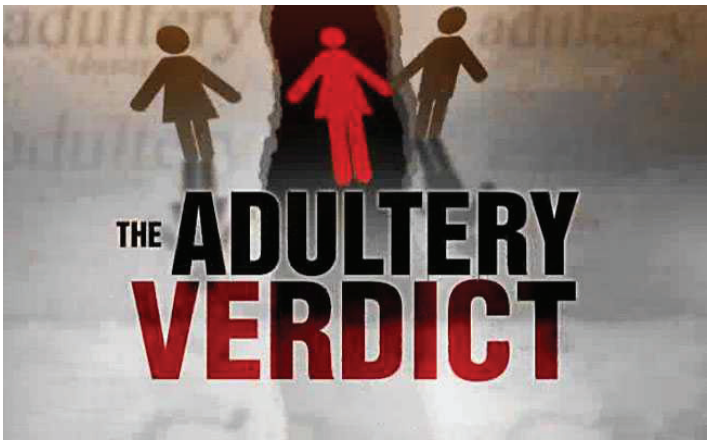

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली इस बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से महिला के साथ असम्मानित व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्त्री और पुरुष के बीच विवाहेत्तर संबंध से जुड़ी IPC की धारा 497 को गैर-संवैधानिक करार दे दिया है।

**सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?**

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि IPC की धारा सेक्शन 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है।
- मुख्य न्यायधीश के अनुसार महिलाओं को हमेशा समान अधिकार मिलना चाहिए। महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता।
- संसद ने भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर कानून बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पति कभी भी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है।

- चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि व्यभिचार किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस वजह से आपका पार्टनर खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला माना जा सकता है।
- इसके बाद सभी पांच जजों ने एक मत से इस धारा को असंवैधानिक करार दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ए.एम. खानविलकर शामिल थे।

**याचिकाकर्ता के बारे में-**

- केरल के एक अनिवासी भारतीय जोसेफ साइन ने इस संबंध में याचिका दाखिल करते हुए आईपीसी की धारा-497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।
- इसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और जनवरी में इसे संविधान पीठ को भेजा था।

**व्यभिचार कानून या धारा-497 क्या है?**

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-497 के तहत यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी (व्यभिचार) के नाम पर उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है।
- हालांकि, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही विवाहोत्तर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।
- इस धारा के तहत ये भी प्रावधान है कि विवाहोत्तर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है।
- किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत नहीं स्वीकार होगी।

GS World Committed to Excellence

## संबंधित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

**1. वित्तीय समावेशन सूचकांक ( एफआईआई ) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?**

1. इस सूचकांक को वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग जारी करेगा।
2. इस सूचकांक में तीन आयाम वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल है।
3. इसका प्रयोग विकास संकेतकों में एक समग्र उपाय के रूप में किया जा सकता है।

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

**2. हाल ही में चर्चित 'वायु' ( WAYU) निम्नलिखित में से क्या है?**

(a) यह एक उपकरण है जिसके माध्यम से संक्रमित बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है।
(b) यह एक उपकरण है जो धूल के कणों को सोखकर वायु प्रदूषण नियंत्रण का कार्य करेगा।
(c) यह भारतीय सेना द्वारा किया गया जागरूकता अभियान है, जो ड्रोन जैसे उपकरणों को पहचानने में कारगर होगा।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**3. निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा गठित लोकपाल खोज समिति का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है?**

(a) लोकपाल के उम्मीदवारों की खोज एवं उनके कार्यों को सरकार तक प्रेषित करना
(b) पदस्थापित लोकपाल के कार्यों की निगरानी करना
(c) जिन राज्यों में लोकपाल नहीं नियुक्त है, वहाँ पर इनके नियुक्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना
(d) उपर्युक्त सभी

**4. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति ( एनडीसीपी ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. हाल ही में सरकार ने इस नीति को मंजूर किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक टेलीकाम सेक्टर में निवेश एवं रोजगार के अवसर स्थापित करना है।
2. इससे सूचना एवं संचार तकनीकी विकास सूचकांक में भारत का स्थान सुधारने में सहायता मिलेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

**5. भारतीय दण्ड संहिता की धारा-497 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?**

1. हाल ही में इसे उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है।
2. इसका संबंध स्त्री एवं पुरूषों के मध्य विवाहेत्तर संबंध से है।
3. उच्चतम न्यायालय के अनुसार इसके असंवैधानिक घोषित करने का एक उद्देश्य महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध होना है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

**नोट-**

27 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संबंधित प्रश्न) का उत्तर 1.(d), 2.(b), 3.(c), 4.(d), 5(c) होगा।